FC 20260629

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 जून, 2026 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 29 जून, 2026 को अपरान्ह 3.30 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. **प्रो0 जय प्रकाश सैनी**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2. श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3. डॉ0 सुमन गुप्ता	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4. डॉ0 भावना मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य
5. श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6. श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु सं0–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनाँक 27 मार्च, 2026 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, समिति द्वारा गत बैठक के समस्त बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–02

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथि तक छात्रों अथवा महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाइन परीक्षा फार्म एवं शुल्क न जमा किये जाने पर ऐसे छात्रों एवं महाविद्यालयों से प्रति छात्र रू0 1000/– की दर से विलम्ब शुल्क जमा कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया, जिस पर समिति द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि प्रवेश के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा फार्म भरने के लिए पोर्टल को खोल दिया जाए एवं परीक्षा फार्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी जाये। यदि निर्धारित तिथि

तक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म एवं शुल्क नहीं जमा किया जाता है, तो ऐसी दशा में प्रति छात्र रू0 1000/— मात्र की दर से विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—03

P.G. Course:- M.Sc. Degree Programme in Wildlife Science at Institute of Wildlife Science Under Self-Finance from the Academic Year 2026-27 प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुतः—

Session: 2026.27

Mode: Self-Finance

Faculty of Science

No. of Seats for M.Sc. : 38

Fees : 45,000/- Per Semester.

प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार—विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2026—27 से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया किं ग्रुप—सी व डी के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय में उपलब्ध ग्रुप—सी व डी के कार्मिकों से काम लिया जाएगा।

बिन्दु सं0—04

निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के पत्र सं0— 20 दिनॉक 12.05.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में क्रय की गयी सामग्री का भुगतान जिसकी कुल धनराशि रू0 8,17,137/— मात्र है को SFC Pool Account से वित्तीय वर्ष 2026—27 में किये जाने हेतु प्रस्तुत सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया जिस पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024—25, 2025—26 एवं 2026—27 के बजट का मदवार एवं मदवार किस—किस मद में कितना—2 भुगतान हुआ है, का पूर्ण विवरण वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं0—05

CCSEA द्वारा नामित बाह्य सदस्यों को Sitting fees Rs. 5000/- as sitting fees+TA/DA (as per actuals) दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार—विमर्श किया गया, जिस पर समिति ने पूर्व से दिये जा रहे मानदेय रू0 3000/— दिये जाने पर सहमति प्रदान की तथा इसके साथ ही उक्त कोर्स की आय का पूर्ण विवरण के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों में Sitting fees Rs. 5000/- as sitting fees+TA/DA (as per actuals) दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त कर वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु सं0–06

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन से EPF की कटौती के उपरान्त नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

1. Contribution by employer on employee wages exceeding Rs. 15,000/- is purely voluntary and not mandatory. No EPF to be deposited for employees whose UAN number is not generated and wages exceeding Rs 15,000/-.
2. The maximum legal obligation of the employer is limited to Rs. 1,800/- per month for employees whose UAN number is generated and EPF deposition need not be stopped.
3. Generation of new UAN number for employees wages exceeding Rs. 15,000/- to be stopped. Refund of EPF deducted from employee wages whose UAN number is not generated.
4. Lucknow University EPF registration dated 04.04.2023 and there after UAN generated for contractual employees. Refund in the name of EPF deduction prior to UAN generation date to be done.

प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गयी एवं उपरोक्त बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन से उपरोक्त के क्रम में नियमानुसार EPF की कटौती एवं वापसी किये जाने पर सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान में कार्यरत स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर ही लागू होगा, भविष्य में नियोजित/पुर्ननियुक्त कार्मिकों जिनका वेतन रू0 15,000/– प्रति माह से ऊपर होगा उनकी EPF की कटौती नहीं की जाएगी।

अन्य बिन्दु

बिन्दु सं0–01

समन्वयक, Hydrocarbon, Geo resources and Energy के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम Institute of Hydrocarbon, Geo resources and Energy में नियुक्त कोआर्डिनेटर एवं डिप्टी कोआर्डिनेटर का वेतन भुगतान स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, कोआर्डिनेटर एवं डिप्टी कोआर्डिनेटर के द्वारा पूर्व के किये गये कार्यों का वेतन भुगतान कर दिया जाए एवं पद को समाप्त कर दिया जाए।

बिन्दु सं0—02

लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026—27 से नवीन संचालित पाठ्यक्रम B.B.A.LL.B. (Integrated Five Years) की प्रति सेमेस्टर फीस Institute of Management Studies के MBA पाठ्यक्रम की प्रति सेमेस्टर फीस के समान प्रस्तावित फीस सत्र 2026—27 से रू0 81,630/—प्रति सेमेस्टर एवं रू0 5000/— कॉसनमनी प्रथम सेमेस्टर में लिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से शुल्क संरचना पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि कॉशनमनी प्रवेश के समय केवल एक बार ही देय होगी।

बिन्दु सं0—03

निदेशक, स्नातक/परास्नातक प्रवेश के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026—27 में प्रवेश कार्यों हेतु तैयार किये गये आय—व्ययक को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, समिति विचार—विमर्श कर सर्वसम्मति से बजट को स्वीकृति प्रदान करते हुए पृष्ठ सं0—3 पर Co-ordination Team हेतु दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किये जाने की संस्तुति की गयी जिसमें वित्त अधिकारी के अतिरिक्त कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक सदस्य होंगे। समिति अन्य विश्वविद्यालयों में इस सम्बन्ध में दिये जा रहे मानदेय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगी।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव

अनुमोदित

(प्रो0 जय प्रकाश सैनी)
कुलपति/अध्यक्ष